(2119)

प्रदेश शासन
र्जा विभाग

भोपाल, दिनांक :- 15/12/2005

ाक 8035 / एफ.6- 3

ते

अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
म.प्र.पावर जनरेटिंग / ट्रांसमिशन कंपनी लिमि
जबलपुर।

2. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
म.प्र.मध्य / पूर्व / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.
भोपाल / जबलपुर / इंदौर।

3. सचिव,
म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल,
जबलपुर।

विषय:—विद्युत करंट से वन्यप्राणियों का शिकार —म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा इसकी रोकथाम के लिये की जाने वाली कार्यवाही।

:—:

प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय उद्यानों /अभ्यारण्यों के अंदर एवं सामान्य वनमण्डलों में विद्युत करंट से वन्यप्राणियों के अवैध शिकार की घटनायें हो रही हैं। इसमें कुछ जिले उमरिया, सिवनी, कटनी, बालाघाट, मण्डला, देवास, शहडोल, सीधी, पन्ना, छतरपुर एवं होशंगाबाद बहुत अधिक संवेदनशील हैं। सामान्यतः कृषि भूमि में उच्चदाब विद्युत लाइनों से तार बिछाकर जानवरों को मारने का प्रयास किया जाता है। वन क्षेत्र के अंदर वन्य प्राणियों के आवागमन के स्थान पर तार बिछाकर इस प्रकार शिकार के प्रयास होते हैं। इसकी रोकथाम के लिये आपको निम्नानुसार कार्यवाही करने निर्देश दिये जाते हैं :—

1. वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करके उच्चदाब विद्युत लाईनों का दुरूपयोग करके वन्य प्राणियों के शिकार भविष्य में न हो पायें इसके लिये आवश्यक कदम उठाएं।
2. वनों से गुजरने वाली विद्युत लाईन की सघन निगरानी के लिये वन विभाग के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था करेंगे।
3. 11 के.वी. लाईन के समस्त "ट्रिपिंग ऑन अर्थ फाल्ट" वन विभाग के साथ मिलकर जांच करेंगे।
4. बिजली करंट से वन्य प्राणियों की मृत्यु की प्रत्येक घटना की जांच करके रोकथाम का प्रयास करेंगे।
5. जिले के टाइगर सैल की बैठक में म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल या उत्तरवर्ती कंपनियों के कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी भाग लेंगे।

6. बिजली करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में विद्युत अधिनियम,2003 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेंगे।

उपरोक्त निर्देश का पालन किया जावे एवं शासन को भी अवगत कराया जावे।

sd/-

(राकेश साहनी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

पृ.क्र. 8036 / एफ.6–2 / 2005 / 13

भोपाल, दिनांक :- 15/12/2005

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,वन विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक,सतपुड़ा भवन,भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन सरंक्षक,वन्यप्राणी,मध्यप्रदेश भोपाल।
4. श्री विजय रमन,ए.डी.जी.,सी.आई.डी.एवं अध्यक्ष,टाइगर सैल,मुख्यालय भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

9296
16/12

1881
2/12/05